रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1509] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2009/भाद्र 31, 1931

No. 1509] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2009/BHADRA 31, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2009

का.आ. 2412(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 394(अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 16 अप्रैल, 1987 में प्रकाशित का और संशोधन करती है । उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 6 उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
"6	जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जोनल अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्र के भीतर"

[फा. सं. क्यू. 15014/45/2008-सी.पी.डब्ल्यू.]

डॉ. रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 394(अ), तारीख 16 अप्रैल, 1987 द्वारा प्रकाशत किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन का.आ. 237(अ), तारीख 29 मार्च, 1989, का.आ. 656(अ), तारीख 24 अगस्त, 1989 और का.आ. 624(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1996 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2009

S.O. 2412(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 394(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 16th April, 1987. In said notification, in the Table, for serial no. 6 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

TABLE

Sl. No.	Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
"6	Zonal Officers of the Central Pollution Control Board constituted under Section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)	Within their respective zone."

[F. No. Q. 15014/45/2008-CPW]

Dr. RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* S.O. 394(E), dated 16th April, 1987 and subsequently amended *vide* S.O. 237(E), dated 29th March, 1989, S.O. 656(E), dated 24th August, 1989 and S.O. 624(E), dated 3rd September, 1996.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.